कार्यालय जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर व अन्य सरकारी विभागों के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों, जो कि वर्ष 2020–21 के लिए पंजीकृत हैं, को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र सं0–256 / जि0पं0सि0नगर / 2020–21, दिनांक 14.08.2020 द्वारा 126 अदद् परियोजनओं पर आमन्त्रित रि–टेण्डर, जिसे दिनांक 08.09.2020 को निर्धारित टेण्डर समिति के समक्ष सभागार जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर में प्रातः 11 बजे से खोला जाना था, जिसमें टेण्डर समिति के सदस्य अभियन्ता, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के दिनांक 31.08.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त तिथि को ई–टेण्डर नही खोला जा सकता है। शासन स्तर से जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर में अभियन्ता की नियुक्ति / प्रभार दिये जाने के उपरान्त ही उक्त टेण्डर खोला जायेगा तथा टेण्डर खोलने की तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी। उक्त रि–टेण्डर में नियम एवं शर्तों के क्रमांक–6 पर अंकित "किसी भी ई–पंजीकृत ठेकेदार द्वारा एक साल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी, जिसका सत्यापन कराया जायेगा। किसी भी ठेकेदार द्वारा फर्जी एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।" में साल्वेंसी सर्टिफिकेट (हैसियत प्रमाण पत्र) मात्र जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत ही मान्य होगा। अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववतः रहेंगी। अन्य कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक–309 (V) / जि0पं0सि0नगर / 2020–21, दिनांक– 05-09-2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 त्रिसदस्यीय समिति, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।
2. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. NIC, सिद्धार्थनगर।
7. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।
8. लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग / सिंचाईविभाग / मण्डी समिति / गन्ना विभाग, सिद्धार्थनगर।
9. सम्पादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र के 01 दिन के अंक में न्यूनतम साइज में प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर